SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

सामाजिक न्याय और आरक्षण नीतियाँ

अनुराधा सिंह, पी–एचडी, विधि विभाग
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी, मध्यप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
अनुराधा सिंह, पी–एचडी
E-mail : gudiya.rani36@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 06/11/2025
Revised on : 07/01/2026
Accepted on : 16/01/2026
Overall Similarity : 00% on 08/01/2026

शोध सार

प्रस्तुत यह शोध पत्र "सामाजिक न्याय और आरक्षण नीतियाँ" के अंतर्गत भारत में लागू आरक्षण व्यवस्था के औचित्य, प्रभाव और वर्तमान प्रासंगिकता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। आरक्षण की अवधारणा ऐतिहासिक रूप से उन वर्गों के सामाजिक उत्थान हेतु विकसित की गई थी, जो लंबे समय तक जातिगत भेदभाव, शोषण और अवसरों के अभाव का शिकार रहे। समय के साथ अनेक निम्न जाति वर्गों में सामाजिक–आर्थिक प्रगति हुई है, जबकि कई उच्च जातियों के लोग आज भी गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे हैं, जिससे केवल जाति आधारित आरक्षण की उपयुक्तता पर प्रश्न उठता है। अध्ययन यह दर्शाता है कि वर्तमान आरक्षण प्रणाली में 'क्रीमी लेयर' का प्रभुत्व बढ़ गया है और राजनीतिक हितों के कारण इसका दुरुपयोग हो रहा है। इससे आरक्षण का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक सीमित रूप में ही पहुँच पाता है और योग्य वर्गों में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है साथ ही यह व्यवस्था सामाजिक समरसता के स्थान पर वर्गीय विभाजन को भी प्रोत्साहित करती प्रतीत होती है। शोध का निष्कर्ष है कि सामाजिक न्याय के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आरक्षण नीति में समयानुकूल सुधार आवश्यक है। इसमें आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक वंचना और अवसरों की असमानता को प्रमुख आधार बनाया जाना चाहिए। इससे न केवल आरक्षण व्यवस्था अधिक न्यायसंगत बनेगी, बल्कि संविधान में निहित समानता, न्याय और बंधुत्व के आदर्शों को भी सुदृढ़ किया जा सकेगा।

मुख्य शब्द

सामाजिक न्याय, आरक्षण नीति.

सामाजिक न्याय का उद्देश्य ऐसे समाज को बढ़ावा देना है जो विविधता को महत्व दे समाजवादी और न्याय संगत हो यह सभी को विकलांगता, लिंग, आयु, जातीय, लैंगिक या धर्म के विभिन्न स्वरूप के बावजूद समान अवसर प्रदान करता हो, और संसाधनों का उचित आवंटन और उनके मानव अधिकारों के लिए समर्थन सुनिश्चित करता है।

भारत में आरक्षण की अवधारणा सामाजिक न्याय की नींव रही है जिसका केंद्र बिंदु पुराने समय से पिछड़े समुदाय को ऊपर उठाने का रहा है। भारतीय संविधान पर आधारित यह ढांचा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो और पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसरों की गारंटी देता है। इतने वर्षों में आरक्षण ने भारतीय समाज पर गहरा असर डाला है, पुराने समय से पिछड़े समुदायों के विकास को बढ़ावा दिया है, साथ ही उनकी सीमा और कार्य क्षमता के बारे में चर्चा भी शुरू की है। भारत में आरक्षण के बदलते कार्य प्रणाली के कारण उप वर्गीकरण लागू हुआ है, खासकर ओबीसी, एसी और एसटीश्रेणी में यह पॉलिसी बड़ी श्रेणी के अंतर्गत अलग–अलग उपसमूह के बीच आरक्षण के फायदे के असंतुलित बंटवारे को बदलने की कोशिश करती है। उप वर्गीकरण करके नीतियों का उद्देश्य यह गारंटी देना है कि,उपेक्षित समूह को उनके फायदे का सही हिस्सा मिले जिसका मकसद साधनों और मौकों का ज्यादा सही बंटवारा करना है। यह लेख आरक्षण सिस्टम के संवैधानिक आधार के सहायक है इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और नई उप आरक्षण श्रेणी की नीति के असर की जांच करेगा साथ ही भारत में आरक्षण के बदलती गतिशीलता पर भी रोशनी डालेगा।

भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण देने का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या किसी भी सामाजिक और शिक्षा से पिछड़े नागरिकों जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) की तरक्की अनुच्छेद 15 (4) अनुच्छेद 15 (5) और अनुच्छेद 15(6)राज्य के तहत सेवाओं में किसी भी पिछड़े नागरिकों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की सही प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(6)में दिया गया है।

एचआरडी मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने यह घोषणा कर मंत्रालय में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण शुरू करने का प्रस्ताव रखा तो आरक्षण को लेकर विवाद फिर शुरू हो गया अलग–अलग समूह के लोगों और संस्थाओं ने अपने–अपने फायदे के हिसाब से इस पर प्रतिक्रियाएं दी है।

सकारात्मक भेदभाव की शुरुआत

सकारात्मक भेदभाव एक तरह का सभी को बराबरी पर रखने का कदम है जो सरकार कम विकसित लोगों की मदद के लिए उठाती है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के विकसित समुदाय की ओर बढ़ सके। भारत में आरक्षण का विचार आजादी से पहले के समय से हुआ, जिसका मुख्य मकसद कुछ समुदाय द्वारा अनुभव की गई गहरी सामाजिक असमानताओं और ऐतिहासिक गलतियों से निपटना था। शुरुआत में आरक्षण 1800 के दशक के आखिर में और 1900 की शुरुआत में औपनिवेशिक समय के दौरान शुरू किए गए थे। 1909 में भारत सरकार के व्यवहार ने मुस्लिम समुदाय के लिए एक खास चुनाव क्षेत्र बनाया जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता मिली। महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर.अंबेडकर के अलग–अलग नजरियों ने आरक्षण नीतियों के विकास पर बहुत असर डाला। पूना पैक्ट 4, उनकी बातचीत से निकला जिसे संयुक्त चुनाव प्रणाली के तहत प्रांतीय विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की गारंटी दी। यह समझौता भारत के आरक्षण प्रणाली के विकास में एक अहम मोड़ था जिसने वंचित समूह के लिए सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा को प्रभावित किया।

पिछड़े वर्ग (ओबीसी) अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बारे में मंडल कमीशन (1980) मैं अलग–अलग जाति की श्रेणी में आजादी के अनुपात के आधार पर अपना विश्लेषण किया। इसमें 1931 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया और इस तरह कुल आबादी में ओबीसी का आंकड़ा 52 प्रतिशत पहुंचा, उस समय की सरकार ने पाया की कमीशन का डाटाबेस गलत था और इसलिए रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मंडल कमीशन के डेटाबेस को स्वतंत्र विश्लेषक ने भी चुनौती दी गई।

वैधनाथन मंत्री ने 18 मई में 2006 के बिजनेस लाइन में अपने लेख "Reservations let down by data" में लिखा है। 1931 की जनगणना और दूसरे पेरा मापदंड के आधार पर मंडल कमीशन का यह अंदाजा कि, 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की है, शायद सही नहीं था लेकिन उसे अंदाजे के आधार पर ओबीसी का 27 प्रतिशत कलेक्शन का आंकड़ा निकाला गया था। नेशनल सैंपल सर्वे 2003 राउंड से पता चलता है, कि गैर मुस्लिम ओबीसी की संख्या 50 प्रतिशत के बजाय लगभग 32 प्रतिशत हो सकती है, मुस्लिम ओबीसी लगभग 4 प्रतिशत है।

भारत में आरक्षण की सीमा

भारत में सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईटी आईआईएम आदि का आरक्षण अनुच्छेद 15(4)(5) और (6) में दिया है। सरकारी नौकरियों जैसे आईएएस, आईपीएस आदि के लिए अनुच्छेद 16(4) और 16(6) के अनुसार विधायिका (सांसद और राज्य विधान मंडल) को अनुच्छेद 334 के अनुसार 2019 के पहले आरक्षण मुख्य रूप से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन (जाति) के आधार पर दिया जाता था। 2019 में 103 में संविधान संशोधन के बाद आर्थिक पिछड़ेपन भी विचार किया गया था।

आरक्षण वर्ग के अलावा अलग–अलग आरक्षण श्रेणी के लिए ज्यादा उम्र में छूट अतिरिक्त प्रयास और कम से कम कट ऑफ नंबर जैसी छूट अतिरिक्त दी गई है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी को एससी या एसटी या ओबीसी के उम्मीदवार के अलावा किसी और उम्मीदवार से नहीं भरा जा सकता है।

भारत में सरकारी नौकरियों और हायर एजुकेशन संस्थानों में एससी,एसटी,ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जैसे अलग–अलग वर्ग में 60 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। सभी श्रेणी में दिव्यांग लोगों के लिए भी 3 प्रतिशत सीटे आरक्षित है।

न्यायिक पुनर्विलोकन आरक्षण के सम्बन्ध में **मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपाकम दौराइराजन (1951)** वाद में आरक्षण की मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का पहला बड़ा ने निर्णय आया इस वाद में संविधान को संशोधन करने की जरूरत हुई। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राज्य के तहत नौकरी के मामलों में अनुछेद 16(4) पिछले वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रोविजन करता है जबकि अनुछेद 15 में ऐसे कोई प्रावधान नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक संसद ने उपअनुच्छेद (4) जोड़कर अनुच्छेद 15 में संसोधन किया।

इंद्रा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1992) के वाद में कोर्ट ने 16(4) के कार्य क्षेत्र विस्तार की जांच की। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी की क्रीमीलेयर का आरक्षण के हितों की सूची से बाहर रखा जाना चाहिए प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए और कुल आरक्षण का कोटा 50: से ज्यादा नहीं होना चाहिए। संसद ने 77 वें संविधान संशोधन एक्ट पास कर अनुच्छेद 16(4a) जोड़ा गया। यह अनुच्छेद राज्य को पब्लिक सर्विस में प्रमोशन में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने का अधिकार देता है,अगर इन समुदायों का सरकारी नौकरी में ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने **एम.नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2006)** के वाद में अनुच्छेद 16(4) को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि ऐसा कोई भी आरक्षण नीति संवैधानिक रूप से वैध होने के लिए नीचे दी गई 3 संवैधानिक जरूरतों को पूरा करेगी।

एससी और एसटी समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े होना चाहिए, एससी और एसटी समुदायों को सरकारी नौकरी में ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसी आरक्षण नीति में एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी कुशलता पर असर नहीं पड़ेगा।

जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रमोशन में आरक्षण के लिए राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के पिछड़ेपन पर डेटा इकठ्ठा करने की

जरूरत नहीं है कोर्ट ने माना कि क्रीमीलेयर का बहिष्करण SC/ST तक भी है इसलिए राज्य उन SC/ST लोगों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे सकता जो अपने समुदाय को क्रीमीलेयर में आते है। मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट कनार्टक के उस कानून को सही ठहराया जो एससी और एसटी को वरिष्ठता के साथ प्रमोशन में आरक्षण देता है।

मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपाकन दौराइराजन (1951) इस मामले में संविधान लागू होने के पहले जारी कुछ आदेशों के आधार पर जिन्हे कम्युकल सीईओ के नाम से जाना जाता है मद्रास राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज सीटें आरक्षित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बताया कि राज्य के अधीन रोजगार के मामले में अनुच्छेद16(4) पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 15 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसरण में संसद ने हस्तक्षेप करके अनुच्छेद15 में खंड (4) जोडकर संशोधन किया अनुच्छेद 29 के खंड(2) में कोई भी राज्य के नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।

आर. बालाजी और अन्य बनाम मैसूर राज्य (1963) इस वाद में कर्नाटक राज्य में संविधान बनने से कुछ दशक पहले ही आरक्षण लागू था और उसके बाद भी जारी रहा मैं मैसूर राज्य ने संविधान की अनुच्छेद 15(4) कि तहत आदेश जारी किया जिसमें ब्राह्मण समुदाय को छोड़कर सभी समुदायों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उसे पिछड़ा घोषित किया गया और शैक्षणिक संस्था में कुल 75 प्रतिशत सीटे SaEBCs और SC/ST के पक्ष में आरक्षित कर दी गई।

के.एम. जयश्री बनाम केरल राज्य (1976) इस मामले में पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को उसके परिवार की आय 10,000 से ज्यादा थी आरक्षण को फायदा नहीं दिया गया, क्योंकि है माना गया कि जाति को इस मकसद के लिए के लिए अकेला या मुख्य टैस्ट नहीं माना जा सकता और गरीबी को भी ध्यान रखना में रखना होगा यह माना गया कि न तो गरीबी और न ही जाति पिछड़ेपन को तय करने के लिये जरूरी तथ्य है।

केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस (1976) इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का फायदा पिछड़े वर्ग की सबसे ऊपर की क्रीमीलेयर छीन लेगी,जिसमें सबसे कमजोर लोग रह जायेंगे इस शब्द का जिक्र जस्टिस कृष्ण अय्यर ने अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में ,जस्टिस चिनप्पा रेड्डी ने के. सी. बसंत कुमार बनाम कनार्टक राज्य के मामले में फिर से किया था जिसमें इसी तरह की चिंताएं उठाई गई थीं। हालांकि इस अवधारणा की जड़े के. एस. जयश्री बनाम केरल राज्य में पिछड़े वर्ग के लोगों को जिनकी परिवार की आय 10,000 से ज्यादा है आरक्षण का फायदा नहीं दिया गया से जुड़ी है।

इसका अर्थ है कि सिर्फ 40 प्रतिशत सीट मेरिट के तहत उपलब्ध है मेरिट सीटों पर सिर्फ समान श्रेणी की उम्मीदवार ही नहीं बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की श्रेणी के उम्मीदवार भी ले जा सकते हैं।

जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण के लिए राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डाटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इस केस में कहा गया कि क्रीमी लेयर का नियमैब्र्ेज् वर्ग पर भी लागू होता है और इसलिए राज्य SC/ST व्यक्तियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे सकता जो अपनी कम्युनिटी की क्रीमीलेयर से संबंधित है।

पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य के पास आरक्षित श्रेणियां के भीतर उपवर्गीकरण करने की शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण का लाभ सबसे वंचित समूह तक पहुंचे इस फैसले ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पर क्रीमी लेयर की अवधारणा को भी मंजूरी दी, और इस बहिष्कार सिद्धांत को इन समुदायों पर भी लागू किया।

सुकन्या संता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2024): इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया की जेल सिस्टम में जाति पर आधारित भेद–भाव मनुष्य को अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के संविधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है आगे कहा कि जेलों में आरक्षण को जाति के आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता है इस वाद में याचिका कर्ता जो एक पिछड़ी जाति की महिला थी ने जेल सेवा के अंदर हो रही भेदभाव व्यवस्था को चुनौती दी थी।

निष्कर्ष

यह बहस का मुद्दा है कि क्या व्यक्ति की जाति सरकारी नौकरियों और कॉलेजों के आरक्षण का सही आधार बनती है, निचली जातियों के कई लोग समाज में ऊपर आए है और अब आम आदमी के बराबर है दूसरी ओर कई उच्च जाति के लोग अभी भी गरीबी और अनपढ़ता से जूझ रहे हैं। जाति आधारित आरक्षण पूरी तरह से बेमतलब नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस समय से बनाया गया था उस समय भारत में अलग–अलग धार्मिक गुरुओं द्वारा बनाए गए नियम जो व्यक्तियों में भेदभाव उत्पन्न करते थे चलाए जा रहे थे। आज भी निम्न जाति के सदस्यों का शोषण भेद–भाव समाज में व्याप्त है लेकिन देश को आरक्षण के एक बेहतर आधार की जरूरत है जिसमें गरीब और पिछड़े समूह शामिल है और सभी जातियों के अमीर और दबदबे वाले लोगों को इससे बाहर रखा जाए।

आरक्षण राजनीति के वोट बैंक बढ़ाने का एक जरिया मात्र बनकर रह गया है, जो देश की तरक्की विकास और हर तरह से काबिलियत में रुकावट डाल रहा है। एक तरफ संविधान की प्रस्तावना में भारत को आजाद डेमोक्रेटिक और प्रभुता संपन्न देश कहा गया है और दूसरी तरफ आरक्षण सिस्टम इन सभी बातों को अपने चंगुल में जकड़ रहा है यह लोगों के बीच भेद–भाव और मतभेद पैदा कर रहा है।

आरक्षण उन हिस्सों के सबसे जरूरतमंद तबकों को शायद ही पता हो कि इस नियम का फायदा कैसे उठाया जाए या ऐसा कोई संवैधानिक कानून है या नहीं इसी हिस्से में क्रीमी लेयर को आरक्षण के नाम पर खास अधिकार मिल रहे हैं और राजनैतिक समूह वोट के लिए उनका साथ दे रहे हैं। आरक्षण बेशक अच्छा है क्योंकि यह समाज की निम्न जाति और आर्थिक रूप से पिछडे लोगों को फायदे का तरीका है लेकिन जब यह समाज को नुकसान पहुंचाता है और अपने छोटे राजनैतिक मकसद के लिए दुसरो की कीमत पर कुछ लोगों को खास अधिकार देता है जैसे कि अभी है तो इसमें जल्द से जल्द बदलाव किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, अनिल (2009) *परीक्षा प्रबंध.* साहित्य भवन, आगरा।
2. Bakshi, P. M. (2010) *The Constitution of India* (10th ed.) Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi.
3. Basu, D. D. (2004) *Introduction to the Constitution of India* (19th ed., reprint) Wadhwa and Company, Nagpur.
4. गुप्ता, अनुज. (2010) निबंध तकनीक. रमेश पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
5. Gupta, D. (2004) *Caste and politics: Identity over system*. Indian Institute of Dalit Studies, New Delhi; Rawat Publications, Jaipur.
6. https://lawbhoomi.com/landmark-cases-on-reservation-in-india/, Accessed on 15 /04/2025.
7. https://www.legalservicesindia.com/legal/article-998-the-concept-origin-and-evolution-of-reservation-policy-in-india.html, Accessed on 06/05/2025.
8. https://www.scu.edu/ethics/ethics-resources/ethical-decision-making/justice-and-fairn, Accessed on 10/07/2025.

9. Indian Institute of Dalit Studies. (2004) *Caste, discrimination and political participation*. Rawat Publications, Jaipur.

10. कश्यप, सुभाष. (2006) *भारत का संविधान एवं संवैधानिक विधि.* यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।

11. Louis, P. (2003) *The political sociology of Dalit assertion*. Gyan Publishing House, New Delhi.

12. Pandey, J. N. (2019) *Constitutional law of India*. Central Law Agency, Allahabad.

13. पाण्डे, जे. एन. (2016) *भारतीय संविधान.* सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद।

14. पाण्डे, तेजस्कर. (2012) *भारत की सामाजिक समस्याएँ.* प्रकाशन संस्थान, इलाहाबाद।

15. Rai, K. (2003) *The Constitution of India* (5th ed.) Central Law Publications, Allahabad.

16. सिंह, विजय विक्रम. (2011) *विधिक समसामयिक निबंध एवं अनुवाद.* सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद।

17. Sukla, V. N. (2019) *Constitution of India* (13th ed. with supplement) Eastern Book Company, Lucknow.

18. वावेल, वन्सती लाल. (2008) *विधिक एवं सामाजिक परिवर्तन.* सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।

****